गैर गोपनीय

<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/43/2024 -डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 18 मार्च, 2026

<u>अधिसूचना</u>

<u>(अंतिम जॉच परिणाम)</u>
<u>मामला सं. एडी (ओआई) -40/2024</u>

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहॉ से निर्यातित 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक (एलएफटी)' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच में में अंतिम जांच परिणाम।

समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

<u>क. मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. यत:, मै. इनोक्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक (एलएफटी)' (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "एलएफटी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत:, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/43/2024-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसम्बर 2024 के माध्यम से, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन गण से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जॉच की शुरूआत करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

<u>ख. प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 जॉच की शुरूआत

क. नियम 5(5) के अनुसार, जॉच की शुरूआत करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को इस पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जॉच की शुरूआत की गई। प्राधिकारी ने इस जॉच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा अन्य संबंधित पक्षकारों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2 आवेदन के अगोपनीय अंश का परिचालन

क. प्राधिकारी ने नियम 7(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से उस देश की सरकार को प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध करने पर, उपलब्ध कराई गई।

3.3 संबद्ध देश के निर्यातकों की भागीदारी

क. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

क्रसं	संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	झांगजियागांग फुरुई सिट कंपनी लिमिटेड
2	शेडोंग औयान न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
3	शीज़ीयाज़ूआंग एनरिक गैस इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड

ग. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में, चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

घ. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है, या जिन्होंने इस जांच से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें इस जांच में असहयोगी माना गया है।

3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी

क. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

क. एडवांटेक फ्यूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
ख. अमोल-प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि.
ग. अशोक लीलैंड लिमिटेड
घ. ब्लू एनर्जी कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ड़. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
च. टाटा मोटर्स लिमिटेड
छ. शिगन ग्रुप
ज. वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड
झ. वीआरवी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड

ख. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातकों ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया है।

क. एडवांटेक फ्यूल सिस्टम्स प्रा. लि.
ख. अमोल प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि.
ग. ब्लू एनर्जी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड

ग. अमोल प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि. ने अनुरोध प्रस्तुत किए थे, किंतु बाद में उसने अपने सभी अनुरोध वापस ले लिए थे। तदनुसार, अमोल प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि. द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है।

3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

क. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) निर्धारित की गई है। इस जांच के लिए क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

3.6 आगे की प्रक्रिया

क. आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी को पाटन तथा परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए। इसलिए, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/43/2024-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसंबर 2024 के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान जॉच की शुरूआत की।

ख. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के सौदा-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने हेतु सिस्टम्स और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया। प्राधिकारी को यह आकड़े प्राप्त हुए और सौदों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आकड़ों पर भरोसा किया गया है।

ग. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जॉच शुरूआत अधिसूचना की प्रति भेजकर जॉच की शुरूआत की सूचना दी।

घ. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों को तथा उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जिन्होंने लिखित रूप में आवेदन की प्रति मांगी थी।

ङ. प्राधिकारी ने भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को जॉच शुरूआत अधिसूचना और प्रश्नावली अग्रेषित करें तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

च. सार्वजनिक हित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई। केवल घरेलू उद्योग ने ईआईक्यू के उत्तर में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।

छ. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान जॉच में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

ज. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 15 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत किए जाएँ। इसके बाद 12 दिसंबर 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई और पक्षकारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित अनुरोध तथा प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

झ. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जॉच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से इनकार किया है या समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रुप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जॉच परिणाम दर्ज किए हैं।

ञ. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता संबंधी दावों की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक पाया वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को उस जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

ट. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सत्यता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है। जानकारी का यथासंभव सीमा तक सत्यापन किया गया तथा घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जिसे संगत, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया।

ठ. नियम 8 के अनुसार, वर्तमान जॉच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

ड. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की सर्वोत्तम लागत तथा भारत में समान घरेलू उत्पाद के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।

ढ़. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से मना किया है या आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रुप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है।

ण. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई जानकारी पर उस सीमा तक विचार किया है, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत हैं।

त. प्राधिकारी ने 11 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सभी आवश्यक तथ्यों को सम्मिलित करते हुए प्रकटन विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की इन अंतिम जॉच परिणामों में उस सीमा तक जांच की है जहां तक संगत माना गया। कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति थी और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त जॉच की गई थी, उसे संक्षिप्तता रखने के लिए दोहराया नहीं गया है।

थ. इस अंतिम जांच परिणाम विवरण में "***" चिह्न ऐसी सूचना को दर्शाता है जो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है और जिसे नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

द. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.82 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. घरेलू उत्पादकों द्वारा वर्तमान में विनिर्मित एलएनजी मालसूचीण टैंक प्रौद्योगिकी, निष्पादन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संदर्भ में कई बड़ी कमियों से ग्रस्त हैं।

ii. भारत में विनिर्मित एलएनजी टैंक का 'होल्ड टाइम'–अर्थात वह अवधि जिसके दौरान एलएनजी को बिना बॉयल-ऑफ के सुरक्षित रखा जा सकता है कम होता है –जिससे उत्पाद की हानि बढ़ती है और प्रचालन दक्षता घटती है।

iii. ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान टैंक के अंदर का दबाव अक्सर सुरक्षा सीमा से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण एलएनजी को वायुमंडल में छोड़ना पड़ता है। इससे न केवल पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होते हैं बल्कि वाहन मालिकों को वित्तीय हानि भी होती है।

iv. घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त उत्पाद रेंज का अभाव है, विशेषकर 200 लीटर से 1500 लीटर खंड में, जो विभिन्न वाहन प्लेटफार्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

v. यद्यपि घरेलू स्तर पर विनिर्मित एलएनजी टैंक पीईएसओ द्वारा प्रमाणित हैं, फिर भी वास्तविक क्षेत्रीय उपयोग में उनका निष्पादन अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में काफी कमतर है।

vi. पीईएसओ की स्वीकृति केवल डिजाइन और सुरक्षा मापदंडों तक सीमित है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निरंतर गुणवत्ता निगरानी या बैच-वार निष्पादन सत्यापन इसमें शामिल नहीं होता है।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक है।

ii. विचाराधीन उत्पाद तरलीकृत प्राकृतिक गैस (विशेषकर मीथेन गैस) के लिए एक दोहरी दीवार वाला क्रायोजेनिक मालसूचीण टैंक है। इसका उपयोग इसमें संग्रहीत तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

iii. एलएनजी टैंक को विशेष रूप से अत्यधिक निम्न तापमान को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि एलएनजी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके और बॉयल-ऑफ गैस (वाष्पीकरण) को रोका जा सके।

iv. विचाराधीन उत्पाद के लिए पीईएसओ प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित प्रत्येक टैंक का निरीक्षण पीईएसओ द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है और उसे अनुमोदित किया जाता है।

v. पीईएसओ प्रमाणन भारतीय कानून के अंतर्गत अनिवार्य है और यह गुणवत्ता तथा सुरक्षा के मानक के रूप में कार्य करता है। पीईएसओ उपकरण के डिजाइन, विनिर्माण प्रक्रियाओं और मालसूचीण सुविधाओं का मूल्यांकन करता है।

vi. पीईएसओ के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में जॉच रिपोर्ट (अर्थात मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्ट), तकनीकी विनिर्देशन (अर्थात दबाव पात्रों या विस्फोट-रोधी उत्पादों जैसे उत्पादों के विस्तृत चित्र, सामग्री संरचना और सुरक्षा विशेषताएँ), कारखाना लाइसेंस और स्थल निरीक्षण के लिए सुविधा का लेआउट सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

vii. आवेदक के पास संबद्ध वस्तु के लिए आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 16949 (ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) जैसे प्रमाणन हैं। ये प्रमाणन इस बात के साक्ष्य हैं कि आवेदक उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसे प्राथमिकता देने का कार्य करता है।

viii. विभिन्न प्रयोक्ताओं ने संबद्ध वस्तु के लिए संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं।

ix. घरेलू उद्योग के उत्पाद को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग को प्रयोक्ताओं से विभिन्न प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुए हैं।

x. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कार्य और उपयोग के संदर्भ में समान हैं, जिससे वे वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

xi. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को प्रतिवादी प्रयोक्ताओं को बेचा है। यह स्वीकार किया गया है कि कुछ ही अवसरों पर प्रयोक्ताओं ने उत्पाद के संबंध में समस्याएँ बताई हैं। चूँकि उत्पाद अभी नए चरण में है, इसलिए कुछ चुनौतियों की अपेक्षा की जाती है। घरेलू उद्योग इन्हें दूर करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

xii. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को निर्यात बाजार में भी बेचता है और प्रतिष्ठित एजेंसियों से आदेश प्राप्त किए हैं। यदि उत्पाद की गुणवत्ता इतनी खराब होती, तो घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में टिक नहीं पाता।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए टैंक के अंदर का दबाव अक्सर सुरक्षा सीमा से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण एलएनजी को वायुमंडल में छोड़ना पड़ता है–यह बताया गया है कि दबाव की यह

समस्या केवल घरेलू उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि टैंक की प्रकृति के कारण यह सभी उत्पादकों पर समान रूप से लागू होती है।

xiv. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पाद रेंज का अभाव है, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान 200 लीटर से 990 लीटर तक के एलएनजी टैंक का निर्माण किया है, जिससे इस खंड में उसकी क्षमता स्थापित होती है।

xv. प्रचलित गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अंतर्गत अनुमोदित क्षमता 1,000 लीटर से कम तक सीमित है। तदनुसार, 1,000 लीटर से अधिक क्षमता के किसी भी उल्लेख को गलत माना जाएगा और यह एक भ्रामक दावा है।

xvi. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ हैं, घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रयोक्ता ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और उसने लगातार केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदारी की है। इसलिए वे घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता की तुलना आयातित उत्पाद से नहीं कर सकते हैं।

xvii. प्रयोक्ताओं ने आवेदक से बार-बार खरीदारी की है। इन दो कंपनियों द्वारा कोई भी टैंक वापस नहीं किया गया है। आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि कुछ कंपनियों ने टैंक वापस किए हैं। तथापि, उन कंपनियों में से किसी ने भी प्राधिकारी के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत नहीं की है।

xviii. घरेलू उद्योग ने भागीदार प्रयोक्ता को 990 लीटर के *** टैंक बेचे हैं। घरेलू उद्योग यह समझता है कि *** टैंक लगभग 10 महीनों से संचालन में है और *** टैंक लगभग 7 महीनों से संचालन में हैं। घरेलू उद्योग को प्रयोक्ता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xix. घरेलू उद्योग ने प्रतिवादी को 400 लीटर के *** टैंक भी बेचे हैं। यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि *** टैंकों के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा कुछ चिंताएँ बताई गई थीं, परंतु यह चिंताएँ उन्हें प्रतिवादी को आपूर्ति किए जाने के 15 महीने बाद बताई गई थीं। तब भी घरेलू उद्योग ने उन्हें बदलकर ग्राहकों की सहायता की थी।

xx. भारत में भी घरेलू उद्योग ने ओईएम से कई आदेश प्राप्त किए हैं और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बड़ी संख्या में बसों के रूपांतरण हेतु एक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

xxi. चूँकि उत्पाद अभी नए चरण में है, इसलिए कुछ चुनौतियों की अपेक्षा की जाती है। आवेदक इन्हें दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

xxii. उपभोक्ताओं ने अतीत में आवेदक द्वारा बेचे गए टैंकों के संबंध में चिंताएँ बताई थीं। तथापि, आवेदक ने इन चिंताओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई की है।

xxiii. आवेदक ने 700 दिनों से अधिक समय के बाद भी बड़ी संख्या में बताई गई चिंताओं का समाधान किया है।

xxiv. एडवांटेक फ्यूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदक से बार-बार खरीदारी की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

6. विचाराधीन उत्पाद को 'लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक' के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे 'लिक्विड फ्यूल टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी वर्णित किया जाता है।

7. लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (विशेषकर मीथेन गैस) के लिए एक दोहरी दीवार वाला क्रायोजेनिक भंडारण टैंक होता है। आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए विचाराधीन उत्पाद के नमूना चित्र नीचे दिए गए हैं।

8. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग उनमें संग्रहित तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, ये दोहरी दीवार वाले वैक्यूम सिलेंडर होते हैं जिनमें सुपर-इन्सुलेशन होता है और जिनका उपयोग उनके भीतर ईंधन को ले जाने के लिए किया

जाता है, जो ट्रकों जैसे वाणिज्यिक वाहनों में दहन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके एक सिरे पर हीट एक्सचेंजर कॉइल होती है, जिसका उपयोग तरल ईंधन को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि वह आसानी से इंजन तक पहुँच सके और दहन के लिए उपयोग किया जा सके। यह उत्पाद 16 बार से 24 बार के दबाव रेटिंग पर 200 लीटर से 990 लीटर तक की क्षमता में उपलब्ध होता है।

9. यह उत्पाद सीमाशुल्क कोड 7311 00 90 के अंतर्गत अध्याय 73 में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे के लिए किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

10. विचाराधीन उत्पाद की मांग 2021-2022 से बढ़ने लगी जब ट्रक कंपनियों ने भारत में एलएनजी गैस आधारित ट्रकों का निर्माण शुरू किया। इस उत्पाद की मांग अभी प्रारंभिक चरण में है, किंतु तेजी से बढ़ रही है। यह मांग 2021-2022 में *** ट्रकों से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** ट्रकों तक पहुँच गई।

11. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि एलएनजी ट्रकों की मांग 2023 में 1000 ट्रकों से बढ़कर 50,000 ट्रकों तक पहुँच जाएगी। ट्रकों की मांग में वृद्धि के साथ-साथ एलएनजी टैंकों की मांग भी बढ़ने वाली है।

12. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग बड़े वाहनों जैसे ट्रकों और अन्य वाहनों में किया जाता है। इनका मुख्य उपयोग मीथेन गैस को संग्रहित करने और ले जाने के लिए होता है, जो वाहन के इंजन को शक्ति प्रदान करती है। इन पात्रों का उपयोग सड़क पर चलने वाले तथा ऑफ-रोड वाहनों के लिए ईंधन मालसूची के लिए किया जाता है। चूँकि ईंधन को तरल रूप में संग्रहित किया जाता है, इसलिए इंजन में उपयोग करने के लिए इसे गैसीय रूप में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इस रूपांतरण का कार्य उत्पाद में स्थापित हीट एक्सचेंजर की सहायता से किया जाता है।

13. यह उत्पाद 16 बार से 24 बार के दबाव रेटिंग पर 200 लीटर से 990 लीटर तक की क्षमता में उपलब्ध होता है। 200 लीटर से 450 लीटर की क्षमता वाले एलएनजी टैंकों के मामले में उनका व्यास और मोटाई समान रहती है और केवल उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है, जबकि 990 लीटर क्षमता वाले एलएफटी के मामले में लंबाई, व्यास और मोटाई तीनों में परिवर्तन होता है।

14. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जॉच की शुरूआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और पीसीएन के दायरे पर अपनी अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। 15 जनवरी 2025 को प्राधिकारी ने पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाकर 21 जनवरी 2025 तक कर दी। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित और जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित वही पीसीएन पद्धति अपनाई। वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है।

क्र.सं.	**अपनाया गया पीसीएन**	**पीसीएन कोड**
1	200 लीटर से 300 लीटर तक	ए
2	301 लीटर से 500 लीटर	बी
3	501 लीटर से 750 लीटर	सी
4	751 लीटर से अधिक	डी

15. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित प्रत्येक उत्पाद को वैधानिक रूप से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात के लिए भी एक वैधानिक आवश्यकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में, जहाँ देश में एक नियामक प्राधिकरण मौजूद है जो उत्पाद की गुणवत्ता और विनिर्देशनों को नियंत्रित करता है और कोई भी पक्ष पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पाद को बेच नहीं सकता, वहाँ यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि पीईएसओ मानकों के अनुरूप और पीईएसओ द्वारा अनुमोदित उत्पाद की गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं है।

16. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीईएसओ प्रमाणन के लिए आवेदन प्रक्रिया में उपकरण के डिजाइन, विनिर्माण प्रक्रियाओं और मालसूचीण सुविधाओं का मूल्यांकन शामिल होता है। आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त लैब रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है, जो विस्तृत आरेखों, सामग्री संरचना तथा दबाव पात्रों या विस्फोट-रोधी उत्पादों जैसे उत्पादों की सुरक्षा विशेषताओं जैसे तकनीकी विनिर्देशनों का मूल्यांकन करती हैं, साथ ही कारखाना लाइसेंस और स्थल निरीक्षण के लिए सुविधा का लेआउट आदि

भी प्रस्तुत करना होता है। इसलिए यह दावा करना कि पीईएसओ की स्वीकृति केवल डिजाइन और सुरक्षा मापदंडों तक सीमित है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निरंतर गुणवत्ता की निगरानी इसमें शामिल नहीं होती, सही नहीं होगा।

17. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम जैसी विभिन्न कंपनियों, जिन्हें घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है, ने वास्तव में उत्पाद की गुणवत्ता की सराहना की है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को भागीदार प्रयोक्ता को भी बेचा है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता की सराहना करने वाले प्रयोक्ताओं के साक्ष्य रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समतुल्य है।

18. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आकड़ों का विश्लेषण किया और यह नोट किया कि केवल एक हितबद्ध पक्षकार ने ही भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त उत्पाद रेंज का अभाव है, इस संबंध में घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उसने क्षति अवधि के दौरान 200 लीटर से 990 लीटर की रेंज में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है। यह जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान उपभोग किए गए उत्पाद की पूरी रेंज को कवर करता है। इसलिए हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध में कोई आधार नहीं है।

20. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद 'लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक' है, जिसे 'लिक्विड फ्यूल टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी वर्णित किया जाता है।

21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देश से आयातित वस्तु के तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

<u>घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

    क. आवेदक क्रायोजेनिक उपकरणों का एक प्रमुख निर्माता है। घरेलू उद्योग को क्रायोजेनिक परिस्थितियों के लिए उपकरणों और प्रणालियों के डिजाइन, अभियांत्रिकी, विनिर्माण और स्थापना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

    ख. आवेदक के अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद का एक और उत्पादक है।

    ग. इनॉक्स इंडिया लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु के अधिकांश हिस्से का उत्पादन करता है।

    घ. इनॉक्स इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

24. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन इनॉक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

25. नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार है:

    "(ख) *''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु*

का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।''

26. आवेदक के अतिरिक्त, भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य उत्पादक क्रायोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। प्राधिकारी ने अन्य उत्पादक को पत्र भेजा था, किंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

27. इनॉक्स इंडिया लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदा आधारित आकड़ों की जांच की और पाया कि इनॉक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है।

28. प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ड़. विविध अनुरोध तथा गोपनीयता संबंधी टिप्पणियाँ

ड़.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध पर 15 महीने की जांच अवधि अपनाई है। इसके लिए जो कारण बताया गया है वह केवल व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। प्राधिकारी को उन व्यावहारिक कठिनाइयों की जांच करनी चाहिए जिनके कारण घरेलू उद्योग ने 15 महीने को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया।

ii. यदि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिया जाए कि वह एक बाध्यकारी वचनबद्धता और गुणवत्ता आश्वासन गारंटी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रदान करे, ताकि सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जा सके। इसमें संबद्ध वस्तु की निर्बाध और समयबद्ध आपूर्ति, निरंतर गुणवत्ता, निर्धारित मानकों का अनुपालन, समयबद्ध मरम्मत और प्रतिस्थापन

तथा व्यावसायिक रूप से उचित शर्तों पर प्रभावी बिक्री-पश्चात समर्थन सुनिश्चित किया जाए।

ड़.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

30. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, जहाँ सामान्य जांच अवधि बारह महीने होती है, वहीं प्राधिकारी लिखित रूप में पर्याप्त कारण प्रदान किए जाने पर छह महीने से अठारह महीने तक की भिन्न अवधि की अनुमति दे सकते हैं।

ii. वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने जॉच की शुरूआत पूर्व-चरण के दौरान उचित जॉच के बाद ही आवेदक के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपनी तर्कसंगतता को जॉच शुरूआत अधिसूचना में विधिवत रूप से दर्ज किया। अतः ऐसे आरोपों को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वे निराधार हैं।

iii. प्रयोक्ता उद्योग, ब्लू एनर्जी, ने अत्यंत अपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है, अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को अनुचित रूप से गोपनीय बताया है और व्यापार सूचना संख्या 08/2021 ("टीएन, 08/2021") का पालन करने में विफल रहा है।

iv. ब्लू एनर्जी ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद निम्न स्तर की गुणवत्ता का है। तथापि, यह कहा गया है कि प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य गोपनीय रखे गए हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने और कोई सार्थक टिप्पणी देने से रोका गया है।

v. प्राधिकारी को व्यापार सूचना संख्या 08/2021 ("टीएन, 08/2021") के प्रावधानों के अनुसार ब्लू एनर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर को अत्यंत अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार कर देना चाहिए।

vi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में आवेदक से बाध्यकारी वचनबद्धता और गुणवत्ता आश्वासन गारंटी अनिवार्य करने का अनुरोध किसी कानूनी आधार पर आधारित नहीं है।

vii. गुणवत्ता, बिक्री-पश्चात सेवा, मरम्मत या प्रतिस्थापन से संबंधित मुद्दे मौजूदा वैधानिक विनियम तथा खरीदार और विक्रेता के बीच संविदात्मक व्यवस्थाओं द्वारा

नियंत्रित होते हैं। इन्हें पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की शर्त नहीं बनाया जा सकता है।

ड़.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

31. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाना उपयुक्त नहीं है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी सामान्यतः बारह माह की अवधि को मानक जांच अवधि के रूप में मानते हैं। तथापि, नियमावली प्राधिकारी को यह अधिकार देती हैं कि वह लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, छह माह से अधिक और अठारह माह से कम की जांच अवधि निर्धारित कर सकते हैं।

32. आगे यह भी नोट किया गया है कि कई पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बारह माह से कम या अधिक अवधि को जांच अवधि के रूप में अपनाया है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि जुलाई 2023 से जून 2024 तक की बारह माह की अवधि को अपनाने से लागत संबंधी आंकड़ों की तैयारी और सत्यापन में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होतीं हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी स्पष्ट किया था कि पंद्रह माह की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और कीमत उन परिस्थितियों के तुलनीय थे जो बारह माह की अवधि में होते, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आयात के प्रभाव का आकलन त्रुटिपूर्ण न हो।

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने न तो घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों की सटीकता और न ही उन कारणों को, जिनके आधार पर प्राधिकारी ने पंद्रह माह की जांच अवधि अपनाई, को चुनौती दी है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने इसका भी कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है कि 15 माह की जांच अवधि को अपनाना क्यों गलत या अनुचित है। प्राधिकारी यह देखते हैं कि चयनित अवधि आकड़ों की तैयारी और सत्यापन को सरल बनाती है, साथ ही संबंधित अवधि के दौरान आयात की तुलनीय मात्रा और कीमत को देखते हुए विश्लेषण में कोई विकृति या पक्षपात उत्पन्न नहीं करती है।

34. प्राधिकारी ने 12 माह और 15 माह की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और कीमत की तुलना की, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। यह देखा गया कि यदि जांच अवधि के स्थान पर 12 माह की अवधि (जुलाई 2023 से जून 2024) को लिया जाता, तो तथ्यों में कोई

महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाई देता। आयात की पंहुच कीमत तुलनीय है और आयात में वृद्धि भी तुलनीय प्रवृत्ति दर्शाती है।

विवरण	**यूओएम**	**जुलाई 23 से जून 24**	**अप्रैल 23 से जून 24**	**अप्रैल 23 से जून 24 (वा.)**
आयात मात्रा	पीसीएस	287	387	310
आयात मूल्य	लाख रुपये	***	***	***
आयात कीमत	रु./नग	***	***	***

स्रोत - डीजी सिस्टम के आकड़े

35. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि जांच अवधि के हिस्से के रूप में लेखा वर्ष को शामिल करना वांछनीय है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ इसका विचार अन्यथा आकड़ों को विकृत नहीं करता। यह भी नोट किया गया है कि पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाने से जांच के परिणाम या किसी भी हितबद्ध पक्षकार समूह के वास्तविक हितों पर कोई पक्षपात या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाना उचित है।

36. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया।

37. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार

निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

38. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को गुणवत्ता आश्वासन और बिक्री-पश्चात सेवा के लिए बाध्यकारी वचनबद्धता अनिवार्य करनी चाहिए, यह अनुरोध किया गया कि व्यावसायिक उपक्रमों के लिए बाध्यकारी शर्त लगाने से संबंधित मामले वर्तमान जांच के दायरे से बाहर हैं।

39. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता से संबंधित अनुरोधों की, संगत सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जॉच की गई और तदनुसार समाधान किया गया। यह देखा गया कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक्स, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पंहुच कीमत, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज़, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी जानकारी के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया कि जहाँ जानकारी क्षति अवधि के लिए है, वह सूचीबद्ध आधार पर प्रदान की गई है। जहाँ जानकारी एक ही वर्ष के लिए है, यदि ऐसा खुलासा जानकारी की गोपनीयता से समझौता नहीं करता तो वह रेंज में बताई गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेज़ों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, जहाँ ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई थी। उन मामलों में, जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपने वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए, उन्हें गोपनीय घोषित किया गया। जहाँ भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज़ को गोपनीय बताया, तो यह नोट किया गया कि ऐसे हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि इन दस्तावेज़ों का सारांश नहीं बनाया जा सकता और सारांश संभव नहीं होने के कारण बताए।

40. प्राधिकारी ने संगत रूप से सभी जांचों में घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी और दस्तावेज़ों पर हितबद्ध पक्षकारों

को गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया।

<u>च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन गण में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के साथ उचित लाभ और सामान्य व्यय को भी ध्यान में रखा है। इस पद्धति ने घरेलू उद्योग की अक्षमता को रेखांकित किया है और इस प्रकार उत्पादन लागत ने चीन के निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत में पर्याप्त वृद्धि कर दी है।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

42. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वर्तमान जांच में चीन के किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया। चीन से उत्पादकों की भागीदारी का अभाव इसलिए है क्योंकि वास्तविक निर्यात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात कीमत से कम है।

ii. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि चीन के उत्पादक के पक्ष में उनके असहयोग के कारण किसी भी प्रकार का अनुकूल परिणाम न प्रदान किया जाए।

iii. चीन के उत्पादकों के पास अत्यंत कम कीमत वाली इस्पात सामग्री उपलब्ध है, जो विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत का 60-70% हिस्सा बनती है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

<u>सामान्य मूल्य</u>

43. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. चीन जन. गण. के मामले में, नियमावली के अनुबंध-। में निम्नानुसार प्रावधान है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित कीमत, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबद्ध देश के विकास

के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" से आशय ऐसे किसी भी देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी इस रूप में निर्धारित करते हैं कि वह लागत या कीमत संरचनाओं के संदर्भ में बाजार सिद्धांतों के आधार पर संचालित नहीं होता है, जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री उस वस्तु के उचित कीमत को नहीं दर्शाती है, जैसा कि उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों में दिया गया है।

(2) यह माना जाएगा कि कोई भी देश जिसे जाँच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है या इस रूप में माना गया है, वह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

परंतु, यह कि ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या उस देश की संबंधित फर्में इस मान्यता का खंडन कर सकती हैं, यदि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रदान करें जिससे यह सिद्ध हो सके कि उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या–

(क) उस देश की संबंधित फर्मों द्वारा कीमत, लागत और इनपुट, जिनमें कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश शामिल हैं, से संबंधित निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के आधार पर लिए जाते हैं और इस संबंध में राज्य का कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं है, तथा क्या प्रमुख इनपुट की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसंपत्तियों के कीमतह्रास, अन्य राइट-ऑफ, वस्तु-विनिमय व्यापार तथा ऋणों के समायोजन के माध्यम

से भुगतान के संबंध में, पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं;

(ग) ऐसी फर्में दिवालियापन तथा संपत्ति संबंधी कानूनों के अधीन हैं या नहीं, जो फर्मों के संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करते हैं; और

(घ) विनिमय दरों का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है।

परंतु, यह कि जहाँ इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्य द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि पाटनरोधी जाँच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियाँ विद्यमान हैं, वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी अनुच्छेद 7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर अनुच्छेद 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

45. चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत कीमत की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

46. यह नोट किया गया कि यद्यिप अनुच्छेद 15 (क)(ii) का प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि जब बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा किया जाता है तो एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के दायित्व के साथ पठित डब्लूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान, नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/आकड़ों के माध्यम से पूरा करना आवश्यक है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में भाग नहीं लिया है जिससे नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित इस पूर्वधारणा का खंडन किया जा सके। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्रवाई करनी होगी।

48. यह नोट किया गया कि एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन की तीन पद्धतियाँ निर्धारित की गई हैं:(क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों, को निर्यात कीमत के आधार पर; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन सहित समायोजित किया गया हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य को किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर, उस देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर, या किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

49. आवेदन प्रस्तुत करने के चरण में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए, जिसमें भारत में उत्पादित समान उत्पाद के लिए उचित लाभ शामिल हो।

50. पहले और दूसरे तरीके के आधार पर सामान्य मूल्य के विचार के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य को तीसरे तरीके, अर्थात किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, परिकलित करने का निर्णय लिया। इसके तहत, सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन

लागत की ईष्टतम कीमत को लिया, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग किया गया।

51. चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के अनुसार देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया। प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया और इसके बाद प्राधिकारी द्वारा पीयूसी के लिए एक सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

52. चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की। चूँकि यह डेटा सीआईएफ शर्तों पर आधारित है, अतः कारखाना-द्वार स्तर पर पहुँचने के लिए पर्याप्त समायोजन किया गया। प्रत्येक पीसीएन के लिए निर्यात कीमत अलग से निर्धारित की गई है। निर्धारित भारित औसत कारखाना-द्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

53. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

क्रसं	**उत्पादक का नाम**	**सामान्य मूल्य** (अम.डा./ सं.)	**निवल निर्यात कीमत** (अम.डा./ सं.)	**पाटन मार्जिन** (अम.डा./ सं.)	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन (रेंज)**
क.	**चीन जन. गण.**					
1.	कोई	***	***	***	***	50-60

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का जॉच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन से आयातित संबद्ध वस्तु ने मांग के रुझान जैसा व्यवहार किया है, अतः चीन से आयात मात्रा में वृद्धि को अलग से नहीं बल्कि मांग में वृद्धि और घरेलू उद्योग की वर्ष 2021-2022 में एक नई कंपनी के रूप में वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की स्थिति के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत के बीच का अंतर उस समय सबसे अधिक था जब आयात की पंहुच कीमत अधिकतम थी, और जब पंहुच कीमत कम थी, तब घरेलू बिक्री और लागत कीमत के बीच का अंतर कम था।

iii. किसी भी व्यवसाय को बाजार में स्थापित होने और स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समय लगता है, विशेषकर जब उत्पाद की लागत इतनी अधिक होती है।

iv. पाटनरोधी शुल्क लगाने का आवेदन मुख्य रूप से लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित है, न कि वास्तविक बाजार चिंताओं से।

v. निकट भविष्य में एलएनजी वाहन रूपांतरण की बाजार मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह आगामी मांग वृद्धि घरेलू विनिर्माताओं के लिए बेहतर आर्थिक निष्पादन लाएगी।

vi. चीन में 1,000 से अधिक एलएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन संचालित हैं और लगभग 7,00,000 एलएनजी-संचालित वाहन तैनात किए गए हैं – यह स्तर भारत में वर्तमान अपनाने के स्तर से काफी अधिक है।

vii. प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीन ने अधिक उत्पादन की किफायतों के स्तर पर पंहुच गया है, वहां तकनीकी अंतर है, निजी क्षेत्र में निवेश, नवाचार और प्रगति हुई है। यह घरेलू उत्पाद को चीन के उत्पादों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी बनाता है।

viii. अधिक मात्रा में उत्पादन, स्वचालित निर्माण प्रक्रिया और दीर्घकालिक निवेश के कारण चीन के मूल के एलएनजी टैंकों की यूनिट कीमत तुलनात्मक रूप से कम है। प्रतिस्पर्धा को पाटन नहीं कहा जाना चाहिए।

ix. घरेलू उद्योग के स्वीकारोक्ति के अनुसार, अनुमानित उत्पादन क्षमता केवल *** इकाइयाँ वार्षिक है। इतनी कम उत्पादन मात्रा प्रति-यूनिट लागत को बढ़ाती है।

x. आवेदनकर्ता एक एकाधिकार बाजार में प्रचालन कर रहा है और अत्यधिक उच्च कीमत वसूल रहा है। 990-लीटर एलएनजी टैंक पहले ₹*** में आता था, जिसे संभवतः आयात के संभावित खतरे की प्रतिक्रिया में हाल ही में ₹*** जमा जीएसटी में संशोधित किया गया।

xi. स्टॉक की कमी के कारण डिलीवरी समय सीमा दो महीने से अधिक है।

xii. निकट भविष्य में एलएनजी वाहन रूपांतरण की बाजार मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह आगामी मांग वृद्धि घरेलू निर्माताओं के लिए बेहतर आर्थिक निष्पादन लाएगी।

xiii. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित टैंक मुख्य रूप से मैनुअल निर्माण तकनीकों से बनाए जाते हैं, जिससे वैश्विक मानकों की तुलना में उत्पादन लागत काफी अधिक होती है।

xiv. आयात केवल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि घरेलू उत्पाद बाजार निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

55. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध दी हैं:

i. घरेलू उद्योग के पास बढ़ी हुई मांग का प्रमुख हिस्सा पूरा करने के लिए पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है। तथापि, चीन से पाटित आयात का लगातार प्रवाह इसकी उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने की क्षमता को सीमित करता है।

ii. 2022-2023 में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई। जांच अवधि के दौरान, संबद्ध देश से आयात में तेज़ी से वृद्धि हुई और उसी समय घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में कमी आई।

iii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है।

iv. संबद्ध देश से आयात में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग की मालसूची में तेजी से वृद्धि हुई।

v. 2022-2023 में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है और जांच अवधि में तेजी से और अधिक बढ़ गया।

vi. पाटित आयात घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर बिक्री कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है। जांच अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक रही है।

vii. 750 लीटर से अधिक क्षमता वाले एलएनजी टैंकों के लिए, घरेलू उद्योग को उत्पाद के आयात कीमत से समतुल्य कीमत रखनी पड़ी, जो कच्ची सामग्री की लागत से भी कम था। चीन के उत्पादक इतनी कम कीमत पर बेचने में सक्षम थे क्योंकि उनकी कच्ची सामग्री पर चीन की सरकार से भारी सब्सिडी प्राप्त थी।

viii. वर्ष 2022-2023 तक घरेलू उद्योग लाभकारी था। जांच अवधि में, बिक्री की लागत बढ़ी, किंतु घरेलू उद्योग को आयात कीमत में गिरावट के कारण अपनी बिक्री कीमत कम करनी पड़ी।

ix. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में प्रचालन कर रहा था।

x. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव को इस दृष्टि से भी देखना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट हुई। मांग बढ़ी किंतु घरेलू उद्योग की बिक्री उसी के अनुरूप नहीं बढ़ी। मांग में पूरी वृद्धि पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया।

xi. भारत में उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने ₹*** करोड़ के निवेश के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने और नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह इस आशा के साथ किया गया कि पाटनरोधी शुल्क लागू होंगे ताकि प्रतिस्पर्धा का समान स्तर सुनिश्चित हो सके।

xii. संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता उनके द्वारा स्थापित क्षमता को देखते हुए बहुत कम रही है।

xiii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ पर नकारात्मक आय, पीबीआईटी पर नकारात्मक आय और पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की।

xiv. जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने सभी कीमत और विभिन्न मात्रा मानदंडों में के संबंध में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

xv. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी क्षति अवधि के दौरान तीव्र गिरावट हुई।

xvi. पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है।

xvii. चीन जन गण के आयात के अलावा, अमेरिका से भी आयात हुआ। तथापि, अमेरिका से आयात नगण्य मात्रा में है और चीन के कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर हुए हैं।

xviii. घरेलू उद्योग ने 990-लीटर टैंक की कीमत की जानकारी प्रदान की। यह देखा जा सकता है कि 990-लीटर टैंक की कीमत ₹*** या ₹*** जमा जीएसटी जैसी बिल्कुल नहीं है, जैसा कि प्रयोक्ताओं ने दावा किया है।

xix. प्रयोक्ताओं का यह दावा कि डिलीवरी समय सीमा दो महीने से अधिक है क्योंकि मालसूची नहीं है, गलत है। घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता लगभग *** टैंक प्रति माह है। साथ ही, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची भी लगातार बढ़ती रही है।

xx. चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता, पैमाने की किफायतों, तकनीकी उन्नति और निजी क्षेत्र के निवेश, चीन सरकार द्वारा एलएनजी टैंक निर्माताओं को दी गई व्यापक सहायता के साथ किया गया है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता ने बाजार की परिस्थितियों को गंभीर रूप से विकृत किया है।

xxi. विचाराधीन उत्पाद की कम कीमत का कारण यह भी है कि प्रमुख कच्ची सामग्री, अर्थात स्टील, भारी सब्सिडी प्राप्त है। स्टील क्षेत्र को बुनियादी और मूलभूत उद्योगों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह 'प्रोत्साहित' उद्योगों का हिस्सा भी है।

xxii. स्टील उत्पाद की उत्पादन लागत में 60-70% हिस्सेदारी रखता है। प्राधिकारी ने हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में पाया कि चीन सरकार कानूनी रूप से इस्पात उद्योग पर सख्त नियंत्रण रखती

है। प्राधिकारी ने लगभग 25% सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया। यह स्पष्ट है कि चीन के उत्पादकों के पास चीन सरकार के समर्थन के कारण कच्ची सामग्री की बहुत कम कीमत पर पहुंच है, जिससे वे विचाराधीन उत्पाद को इतनी कम कीमत पर निर्यात कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

56. अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, '*.....जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित....*' सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या कीमतों में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

57. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का संज्ञान लिया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है।

58. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाएँ। कुछ मानक गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं दिखा सकते। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों का मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति के मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जॉच की है।

59. इस अनुरोध के संबंध में कि चीन ने पैमाने की किफायत प्राप्त कर ली है और घरेलू उद्योग चीन के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातित पीयूसी की पंहुच कीमत क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए विचार की गई कच्ची सामग्री की लागत से भी कम है। इसलिए यह दावा कि चीन ने पैमाने की किफायत प्राप्त कर ली है, सही नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री इस्पात है, और घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इस पर चीन सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की अनुमानित उत्पादन क्षमता केवल *** इकाइयाँ प्रतिवर्ष है, प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता *** नग है, जिसे *** नग तक बढ़ाया जा सकता है (यदि मशीनरी तीन शिफ्ट में कार्य करे, जैसा कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 में किया था)। आगे यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने ₹ *** करोड़ के निवेश के साथ *** टैंक प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित करके अपनी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई संख्या सही प्रतीत नहीं होती।

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग 990-लीटर टैंक के लिए ₹*** कीमत ले रहा था, जिसे हाल ही में ₹*** जमा जीएसटी कर दिया गया है, घरेलू उद्योग ने 990-लीटर टैंक के कीमत निर्धारण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कीमत संरचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई कीमत से काफी कम है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में इस उत्पाद को ₹*** की कीमत पर बेचा, जो कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से भी कम है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए सकते हैं।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

62. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष उपभोग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की अनुमानित बिक्री तथा सभी स्रोतों से एलएनजी टैंकों के आयात के योग के रूप में किया है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियॉ	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	7,400	6,400	6,200
2	अन्य उत्पादकों की बिक्रियॉ	संख्या	***	***	***	***
3	संबद्ध देश से आयात	संख्या	-	12	110	310
4	अन्य देशों से आयात	संख्या	-	3	4	11
5	**कुल मांग**	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	10,100	18,000	38,560
6	भारत में क्षमता	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	150	100	100

63. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई, जो आगे वर्ष 2022-23 तथा जांच अवधि में और अधिक बढ़ी है। क्षति अवधि के दौरान मांग लगातार बढ़ती रही है।

64. वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद की मांग *** नग है। इस मांग के मुकाबले घरेलू उद्योग के पास *** टैंकों की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर *** टैंक तक किया जा सकता है। उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने ₹ *** करोड़ के निवेश के साथ *** टैंक प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित कर अपनी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ख. समग्र तथा सापेक्ष रूप में आयात

65. क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान समग्र और सापेक्ष रूप में आयात की मात्रा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)

1	संबद्ध देश से आयात	संख्या	-	12	110	310
2	अन्य आयात	संख्या	-	3	4	11
3	कुल आयात	संख्या	-	15	114	321
4	निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
ग	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	-	100	1,297	2,187
ख	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	-	100	514	676
ग	कुल आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृति			100	120	121

66. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध देश से आयात वर्ष 2021-2022 में घरेलू बाजार में प्रवेश करना शुरू हुए, वर्ष 2022-2023 में बढ़े और जांच अवधि में तीव्र रूप से बढ़ गए।

ख. संबद्ध देश से आयात भारतीय उत्पादन, भारतीय मांग और कुल आयात के संबंध में वर्ष 2021-2022 की तुलना में वर्ष 2022-2023 में बढ़े हैं और जांच अवधि में और अधिक बढ़ गए हैं।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

67. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी अधिक कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ सकती थी।

क. कीमत कटौती

68. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पंहुच कीमत के साथ करके किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	औसत
1	पंहुच कीमत	₹/संख्या	***
2	निवल बिक्री प्राप्ति	₹/संख्या	***
3	कीमत कटौती	₹/संख्या	***
4	कीमत कटौती	%	नकारात्मक

69. यह देखा गया है कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से थोड़ी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप मामूली नकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

70. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि देश में बढ़ते आयातों को देखते हुए उसे अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उसने उपभोक्ताओं को अपना उत्पाद आयात कीमत से भी कम कीमत पर प्रस्तावित किया।

ख. कीमत ह्रास/ कीमत न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ सकती थीं, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	बिक्री लागत	₹/संख्या	***	***	***	***
	परिवर्तन	₹/संख्या		***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	118	127	141

2	बिक्री कीमत	₹/संख्या	***	***	***	***
	परिवर्तन	₹/संख्या		***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	75	76	63

72. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-2022 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** बढ़ गई, जबकि बिक्री कीमत प्रति नग ₹ *** घट गई। वर्ष 2022-23 में बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** और बढ़ गई, किंतु बिक्री कीमत केवल ₹ *** प्रति नग ही बढ़ी। बिक्री कीमत में वृद्धि की दर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि की दर से कम रही है।

73. जांच अवधि में बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** और बढ़ गई, जबकि बिक्री कीमत प्रति नग ₹ *** घट गई।

74. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, यद्यपि बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** बढ़ी, वहीं बिक्री कीमत प्रति नग ₹ *** घट गई। अर्थात लागत बढ़ने के बावजूद कीमतों में गिरावट हुई।

75. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट हुई है।

76. नीचे दी गई तालिका में तुलनीय पीसीएन के लिए आयातों की पंहुच कीमत तथा घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत दर्शाई गई हैं।

क्रसं	**विवरण**	**यूओएम**	**पीओआई**
1	बिक्री लागत	₹/संख्या	***
2	निवल बिक्री कीमत	₹/संख्या	***
3	पंहुच कीमत	₹/संख्या	***

77. यह देखा गया है कि आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। आयातों की पंहुच कीमत बिक्री लागत से कम होने के कारण घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभकारी कीमत वसूलने में असमर्थ रहा है। इसलिए, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

छ.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव</u>

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जॉच शामिल

होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों के संबंध में नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

79. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	स्थापित क्षमता	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	150	100	100
2	उत्पादन पीयूसी+एनपीयूसी	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	184	97	108
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	123	97	108
4	उत्पादन - पीयूसी	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	2,175	1,400	2,360
4	घरेलू बिक्रियॉ	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	7,400	6,400	6,200

80. यह देखा गया है कि: -

क. आवेदक का संयंत्र केवल घरेलू समान उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है और इसका उपयोग अन्य टैंकों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है।

ख. घरेलू उद्योग की क्षमता केवल वर्ष 2021-2022 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान समान बनी रही है। वर्ष 2021-2022 में, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन सिलेंडरों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने संयंत्र को तीन शिफ्ट में चलाकर अपनी क्षमता बढ़ाकर *** टैंक कर दी।

ग. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ किया। वर्ष 2021-2022 में उत्पादन बढ़ा, वर्ष 2022-2023 में कम हुआ और जांच अवधि में इसमें पुन: वृद्धि हुई।

घ. संपूर्ण क्षति अवधि के संदर्भ में देखा जाए तो घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन बढ़ा है।

ड़. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, किंतु वर्ष 2022-23 में ये कम हो गई और जांच अवधि में पुन: वृद्धि हुई।

च. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री वर्ष 2021-22 में बढ़ी, किंतु उसके बाद जांच अवधि तक घटती रही है।

ख. बाजार हिस्सा

81. इस अवधि के दौरान आयातों और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	निम्न का बाजार हिस्सा	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	73	36	16
2	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	-	100	9	5
3	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	-	100	514	676
4	अन्य देश से आयात	%	***	***	***	***

	प्रवृति	सूचकांक	-	100	75	98

82. यह देखा गया है कि: -

क. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि के दौरान लगातार और महत्वपूर्ण रूप से घटती रही है।

ख. अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2021-2022 को छोड़कर नगण्य रही।

ग. संबद्ध देश से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पूरे क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ती रही।

घ. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों का मांग में सबसे अधिक और प्रमुख हिस्सा रहा।

ड़. गैर-संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नगण्य रही है।

च. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी लगातार घटती रही है और उसी समय संबद्ध देश से आयातों की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रही है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% थी, जबकि आयातों की बाजार हिस्सेदारी ***% रही थी।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

83. लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई (वा.)**
1	लाभ/(हानि)	₹/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	39	34	(3)
2	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	2,864	2,145	(192)
3	पीबीआईटी	₹/संख्या	***	***	***	***

	प्रवृति	सूचकांक	100	39	33	(3)
4	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	2,862	2,141	(187)
5	नकद लाभ	₹/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	39	37	6
6	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	2,857	2,336	348
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	146	29	(3)

84. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लाभ क्षति अवधि के दौरान लगातार घटते रहे हैं। जांच अवधि में ये लाभ वित्तीय घाटों में परिवर्तित हो गए।

85. वर्ष 2022-2023 तक घरेलू उद्योग ने ब्याज से पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय अर्जित की थी। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को ब्याज से पूर्व हानि हुई तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई। यद्यपि नकद लाभ सकारात्मक रहा, फिर भी क्षति अवधि के दौरान इसमें ***% की कमी आई।

घ. मालसूची

86. मालसूची से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई (वा.)**
1	आरंभिक मालसूची	संख्या	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	संख्या	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	245	291	464

87. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ड़. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

88. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	124	152	229
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	2,155	1,842	3,116
3	प्रतिदिन उत्पादकता	सं./दिन	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	2,175	1,400	2,360
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सं./ कर्मचारी	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचकांक	100	1,757	919	1,033

89. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। वेतन और मजदूरी में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई। प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता बहुत ही कम बनी रही।

च. वृद्धि

90. वृद्धि से संबंधित जानकारी निम्नानुसार रही है:

क्रसं	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
1	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	23%	-21%	12%
2	उत्पादन की मात्रा	वाई/वाई	2075%	-36%	111%
3	घरेलू बिक्री मात्रा	वाई/वाई	7300%	-14%	22%
4	प्रति इकाई लाभ/हानि	वाई/वाई	-61%	-13%	-109%
5	लाभ/हानि लाख रुपये में	वाई/वाई	2764%	-25%	-111%
6	प्रति मी टन रुपये में नकद लाभ	वाई/वाई	-61%	-5%	-85%
7	पीबीआईटी रु प्रति मी.टन	वाई/वाई	-61%	-14%	-109%

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने सभी कीमत मापदंडों के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। यद्यपि उत्पादन और क्षमता उपयोग के संदर्भ में मात्रा संबंधी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि उत्पाद की मांग में वृद्धि को देखते हुए बहुत कम रहा है।

छ. पाटन की मात्रा

92. पाटन की मात्रा उस मात्रा का संकेतक है जिसमें आयात भारत में पाटित हो रहे हैं। जांच से पता चलता है कि पाटन मार्जिन जांच अवधि में सकारात्मक और काफी अधिक है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. यह देखा गया कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक रही थी। घरेलू उद्योग इस अवधि में घाटे में था। इसलिए, उत्पाद के पाटन ने पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है। तथापि, उत्पाद की मांग में महत्वपूर्ण अनुमानित वृद्धि को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी जांच के प्रारंभ के बाद नए संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसकी क्षमता *** टैंक प्रति वर्ष और निवेश राशि *** करोड़ रुपये है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. आयात कीमत की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है। चूंकि संबद्ध देश से आयात ने भारतीय बाजार में इस तरह की कीमतों पर प्रवेश किया कि घरेलू उद्योग अपनी कीमत में बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं कर पाया। यह तथ्य कि आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं और घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण हानि झेली है, पाटित आयात का प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध करता है। इसलिए, संबद्ध देश से आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

ञ. नकदी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव

95. कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पाद को पर्याप्त लाभकारी कीमत पर बेचने से रोका है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का नकद लाभ तेजी से घटा है। इसलिए, यह देखा गया कि उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

ट. क्षति संबंधी निष्कर्ष

96. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जॉच से पता चलता है कि:

क. संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ था, किंतु आयात 2021-22 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और क्षति अवधि के दौरान तेजी से बढ़ा है।

ख. आयातों में मात्रा में समग्र रूप से और उत्पादन तथा मांग के सापेक्ष वृद्धि हुई है।

ग. कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि देश में बढ़ते आयात को देखते हुए उसे अपनी कीमत घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने बिक्री बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपने उत्पाद को आयात कीमत से कम कीमत पर उपभोक्ता को आफर किया।

ड़. संबद्ध देश से आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा। जबकि बिक्री लागत प्रति टैंक *** रुपये बढ़ी थी, बिक्री कीमत में *** रुपये प्रति एमटी की गिरावट आई।

च. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ा किंतु यह वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

छ. अधिकांश मांग पाटित आयातों द्वारा पूरी की जा रही है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कम हुई है।

ज. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानि हुई। घरेलू उद्योग ने ब्याज से पहले भी हानि झेली। वर्ष 2022-23 में प्रति टैंक *** रुपये का लाभ होने की स्थिति से, जांच अवधि में घरेलू उद्योग को प्रति टैंक *** की हानि हुई।

झ. घरेलू उद्योग का नकदी लाभ तेजी से कम हुआ।

ञ. पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर है।

ट. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक हैं।

97. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

98. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की जॉच करनी अपेक्षित है कि पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है या क्षति पहुँचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयात के साथ जोड़ा न जाए। इस बात की जॉच की गई है कि क्या नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं।

क. गैर-संबद्ध देशों से आयात की मात्रा और कीमत

99. नीचे दी गई तालिका में तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत दर्शाई गई है।

क्रसं	देश	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	गैर-संबद्ध देशों से आयात की मात्रा	संख्या	-	3	4	11
2	आयात कीमत	₹/संख्या	-	***	***	***

100. यह देखा गया कि अन्य देशों से आयात की मात्रा बहुत कम है और जिस कीमत पर आयात हो रहा है वह संबद्ध देश की तुलना में अधिक है तथा यह गैर-क्षतिकारी है।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृति में बदलाव

101. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है। भविष्य में मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा मौजूद नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ड़. निर्यात निष्पादन

104. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू संचालन के लिए क्षति संबंधी आकड़ों पर अलग से विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

105. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से संबंधित आकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अन्य ज्ञात कारकों, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते थे, का गैर-आरोपण विश्लेषण में पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई। निम्नलिखित तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि क्षति पाटन के कारण हुई है:

क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं।

ख. उत्पाद की पाटन के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है।

ग. उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और पूंजी पर आय घट गई है। घरेलू उद्योग को हानि, ब्याज से पहले हानि और नकद लाभ में तीव्र गिरावट झेलनी पड़ी।

घ. संबद्ध देशों से आयात बढ़े हैं क्योंकि वे पाटित कीमतों पर हुए हैं। ये आयात घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छीन ले गए हैं, जो अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में असमर्थ रहा।

<u>झ. क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

107. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली के सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आकड़ों का प्रयोग करके निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की पंहुच कीमत से की गई ताकि क्षति मार्जिन की गणना की जा सके। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय और/या संपत्तियों को उत्पादन लागत और/या क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है। उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात, औसत स्थिर परिसंपत्तियों जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर (22% की दर से कर-पूर्व) की तर्कसंगत आय पर ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई है ताकि नियमावली के अनुबंध III के अनुसार यथा विहित क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जा सके।

क्षति मार्जिन तालिका

क्रसं	**उत्पादक का नाम**	**एनआईपी** (अम.डा. /संख्या)	**पंहुच कीमत** (अम.डा. /संख्या)	**क्षति मार्जिन** (अम.डा. /संख्या)	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
क.	**चीन जन. गण.**					
1.	कोई	***	***	***	***	40-50%

ञ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आयात के लिए पहले से ही एक नियामक उपाय मौजूद है। किसी अतिरिक्त नियामक उपाय के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाना आयातकों/प्रयोक्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के हितों में बाधा डालेगा।

ii. संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पहले से ही 10% का मूल सीमा शुल्क लागू है। यदि पाटनरोधी शुल्क के रूप में कोई और शुल्क लगाया गया, तो यह डाउनस्ट्रीम बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

iii. वाहन को डीज़ल से एलएनजी में रूपांतरित करने में निवेश पर आयस आम तौर पर दो वर्षों से अधिक होती है। इससे फ़्लीट ऑपरेटरों के लिए रूपांतरण वाणिज्यिक रूप से आकर्षक नहीं होता। पाटनरोधी शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त लागत मांग को कम कर देगी।

iv. आयातित एलएनजी फ्यूल टैंकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से रेट्रोफिटर्स के लिए कीमत में 20%-25% से अधिक की वृद्धि हो जाएगी।

v. एलएनजी रेट्रोफिट्स की आर्थिक व्यवहार्यता की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है और क्षति, बाजार संभावनाओं या घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय इसे उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

vi. चीन से आयात भारतीय बिल्कुल आरंभिक एलएनजी पारिस्थितिकी तंत्र पर अनाशयित प्रभाव डाल सकता है क्योंकि वर्तमान में घरेलू रूप से विनिर्मित एलएनजी टैंकों की कीमत संरचना नए वाहनों के निर्माण और डीज़ल से एलएनजी रेट्रोफिट दोनों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

vii. रेट्रोफिटर्स आम तौर पर डीज़ल वाहनों को एलएनजी में रूपांतरित करने के लिए ₹12.00 लाख से ₹18.00 लाख (जीएसटी को छोड़कर) चार्ज करते हैं, जिसमें एलएनजी

फ्यूल टैंक की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस महत्वपूर्ण घटक की लागत में कोई वृद्धि रेट्रोफिटिंग व्यवसाय को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य बना देगी।

viii. पाटनरोधी शुल्क से रेट्रोफिटर्स पर ओईएम्स की तुलना में असमान प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) टैंक की लागत को लगभग ₹*** लाख प्रति यूनिट तक बढ़ा सकता है। इससे रेट्रोफिटिंग व्यवसाय पूरी तरह से अव्यवहार्य हो जाएगा।

ix. इस प्रारंभिक बाजार विकास चरण में, एलएनजी टैंकों पर एडीडी लगाना असमय और प्रतिकूल होगा क्योंकि यह बाजार पहुंच को बाधित करेगा, लागत बढ़ाएगा और विकास को सीमित करेगा।

x. एलएनजी फ्यूल टैंक किसी वाणिज्यिक वाहन के एलएनजी रेट्रोफिटिंग लागत का लगभग 40-50% बनता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वाहन पर ₹*** की वृद्धि होगी और निवेश पर आय में एक वर्ष की वृद्धि होगी, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

xi. फ़्लीट ऑपरेटर इस अत्यधिक अग्रिम लागत को केवल 15 वर्षीय एलएनजी टैंक के जीवनकाल पर वसूलने के लिए वहन करने के लिए तैयार नहीं होंगे।

xii. ओईएम्स जैसे ब्लू एनर्जी, जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया, भारतीय बाजार में एलएनजी ट्रक सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने में सक्षम रहे। जबकि जिन कंपनियों ने केवल घरेलू रूप से विनिर्मित एलएनजी टैंकों पर भरोसा किया, उन्हें वित्तीय नुकसान, बार-बार परियोजना विफलताएँ और कई मामलों में लगातार निष्पादन संबंधी समस्याओं के कारण एलएनजी रूपांतरण परियोजना बंद करनी पड़ी।

ञ.2. घरेलू उद्योग का अनुरोध

109. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. यदि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योग, ट्रक ड्राइवर और अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रभाव पड़ता भी है, तो वह प्रभाव नगण्य है।

ii. ट्रक निर्माताओं पर प्रभाव लगभग 3% से 6% के आसपास है।

iii. एक ट्रक ड्राइवर के लिए, यद्यपि लागत में वृद्धि प्रति वर्ष ₹*** है, जो प्रति किमी. 0.22 रु. बनती है। इससे प्रति किमी. चलाने की लागत ₹35 पर 0.61% बढ़ेगी। उसी समय, यदि वे एलएनजी में परिवर्तन करते हैं, तो वे लगभग ₹*** प्रति वर्ष की बचत करेंगे।

iv. यदि ट्रक ड्राइवर अपनी कीमत बढ़ाये भी तो भी प्रति किमी. कीमत में वृद्धि ₹50 प्रति किमी. पर, केवल 0.22 रु. प्रति किमी. होगी, जो 0.43% है।

v. पाटनरोधी शुल्क का प्रति किलोमीटर प्रभाव 0.43% है। यह प्रभाव ट्रक ड्राइवर की बचत और स्क्रैप बिक्री से आय को ध्यान में नहीं रखता है। यदि ये शामिल किए जाएँ, तो प्रभाव नकारात्मक होगा।

vi. 450-लीटर एलएनजी टैंक के लिए आवेदक की बिक्री कीमत ₹*** प्रति यूनिट है। रेट्रोफिटर्स की अपनी ही स्वीकारोक्ति के अनुसार ₹*** की वृद्धि केवल एक वर्ष के लिए आरओआई को बढ़ाएगी, जिससे उनका उच्च मार्जिन स्पष्ट होता है; तब भी आय लगभग 50% रहती है, जो आवेदक के 22% के आरओसीई से काफी अधिक है।

vii. फ़्लीट ऑपरेटर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव केवल ₹0.22 प्रति किमी. होगा। यद्यपि स्वीकृत रूप से अग्रिम लागत में वृद्धि होती है, तथापि यह कुल लागत का केवल 6% है। अतिरिक्त भुगतान किया गया पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष में लागत बचत के माध्यम से वसूल हो जाएगा।

viii. रेट्रोफिटिंग एक सेवा-उन्मुख गतिविधि है और मुख्य रूप से इंस्टॉलेशन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। रेट्रोफिटिंग उद्योग लागत में वृद्धि को आगे बढ़ा देगा। इसलिए, किसी एक घटक (अर्थात एलएनजी टैंक) की कीमत में बदलाव उनके संचालन की व्यवहार्यता को प्रभावित नहीं कर सकता है।

ix. इस अनुरोध पर कि ब्लू एनर्जी जैसे ओईएम्स ने आयातित टैंकों के साथ एलएनजी ट्रक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जबकि घरेलू रूप से खरीदी गई कंपनियों ने नुकसान झेले, घरेलू उद्योग ने बताया कि ब्लू एनर्जी ने न केवल संबद्ध वस्तुओं का आयात किया बल्कि आवेदक से भी उन्हें खरीदा और क्षति अवधि के दौरान कोई आय प्राप्त नहीं की। वास्तव में, ब्लू एनर्जी ने गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत नहीं दर्ज की है।

x. भागीदार हितबद्ध पक्षकारों ने भी एक भी टैंक वापस नहीं किया। यह दर्शाता है कि अन्य कंपनियों के बीच, ये दोनों कंपनियॉ, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए टैंकों को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम हैं।

घरेलू उद्योग के अनुरोध अनुसार डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का अनुमानित प्रभाव

110. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ट्रक निर्माताओं पर पाटनरोधी शुल्क (यदि लगाया गया) का प्रभाव ओईएम्स के लिए संपत्ति के जीवनकाल में 3% से 6% होगा।

क्रसं	विवरण	यूओएम	टाटा प्राइमा	ब्लू एनर्जी
1	ट्रक की लागत	रुपये	***	***
2	पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि	रुपये	***	***
3	प्रभाव	%	3%	6%

111. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त रूप से दावा किया कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रति वर्ष *** रुपये होगा। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में जानकारी निम्नलिखित रूप में प्रदान की है,

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मान
1	अतिरिक्त लागत	रुपये	2,06,426
2	LNG फ्यूल टैंक की औसत उपयोगी आयु	वर्ष	10
3	प्रति वर्ष अतिरिक्त लागत	रुपये	20,643
4	प्रति वर्ष औसत चलन (रनिंग)	किमी	96,000
5	प्रति किमी प्रभाव	रुपये	0.22
6	प्रति किमी चलने की लागत	रुपये	35
7	लागत में वृद्धि	प्रतिशत	0.61%
8	प्रति किमी लिया जाने वाला मूल्य	रुपये	50

9	प्रति वर्ष लागत में वृद्धि	रुपये	20,643

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

112. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश सार्वजनिक हित के विरूद्ध होगी। यह निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी और विभिन्न पक्षकारों जैसे घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया।

113. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें पाटनरोधी शुल्क के उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, स्रोत बदलने की क्षमता, और उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में जानकारी मांगी।

114. यह नोट किया गया है कि सामान्य रूप से पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित उत्पाद और भारत में इस उत्पाद का उपयोग करके विनिर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी, जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयात के कारण और अधिक हो सकती थी, और संबंधित उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

115. प्राधिकारी ने इस जॉच में सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए एक आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली विहित की। घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति संबद्ध देश से आयात के कारण संवेदनशील है। घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान घाटा उठा रहा था। आयात की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से भी कम थी। इसलिए, यह माना गया कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपायों को लागू करने के लाभ होंगे।

117. प्राधिकारी यह भी अवलोकन करते हैं कि रेट्रोफिटर्स वे इकाइयाँ हैं जो मौजूदा डीज़ल या गैसोलीन-चालित ट्रकों को इलेक्ट्रिक या एलएनजी-आधारित वाहनों में परिवर्तित करती हैं। उनका मुख्य कार्य मूल वाहन विन्यास में संशोधन करना है, जिसमें कुछ घटकों को वैकल्पिक ईंधन संचालन के लिए उपयुक्त नए सिस्टम से बदलना शामिल है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि रेट्रोफिटर्स का कार्य मुख्य रूप से सेवा-उन्मुख प्रकृति का है। वे मुख्य रूप से घटकों की स्थापना और एकीकरण में कार्यरत हैं और ऐसे कलपुर्जों के निर्माण या व्यापार में कार्यरत नहीं हैं। सामान्यतः, रेट्रोफिटर आवश्यक घटक खुले बाजार से खरीदता है और केवल निर्दिष्ट वाहन पर स्थापना और रूपांतरण का कार्य करता है। इस संदर्भ में, रेट्रोफिटर किसी भी अतिरिक्त लागत, जिसमें टैंक की कीमत में वृद्धि शामिल है, को अंतिम ग्राहक या परिवर्तित वाहन के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर आगे बढ़ा सकता है। तदनुसार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से रेट्रोफिटर्स की वाणिज्यिक या प्रचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

118. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि यदि उत्पाद की कीमत *** रुपये बढ़ती है तो निवेश पर आय एक वर्ष बढ़ जाएगी और ट्रक का औसत उपयोगी जीवन 15 वर्ष है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उत्पाद पूंजीगत वस्तु है और यह नियोजित पूंजी पर समय के साथ लाभ प्रदान करने के लिए है। इस मामले में, संबंधित पक्षकारों की अपनी ही स्वीकारोक्ति के अनुसार, उत्पाद की लागत में *** रुपये की वृद्धि होने पर निवेश पर आय केवल एक वर्ष बढ़ेगी। यह दर्शाता है कि हितबद्ध पक्षकार संपत्ति के शेष जीवनकाल में पर्याप्त और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य लाभ मार्जिन अर्जित करते रहेंगे।

119. इस अनुरोध पर कि ब्लू एनर्जी ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया और इसलिए भारतीय बाजार में एलएनजी ट्रक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए, यह देखा गया कि ब्लू एनर्जी ने न केवल संबद्ध वस्तुएँ आयात कीं बल्कि घरेलू उद्योग से भी उन्हें खरीदा है। ब्लू एनर्जी ने एक पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार होने के नाते उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ब्लू एनर्जी की ओर से किए गए कोई भी अनुरोध उचित नहीं हैं।

120. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद नवाचार में पर्याप्त निवेश नहीं किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद विकास के चरण में है। उत्पाद की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने *** टैंक प्रति वर्ष क्षमता वाले नए संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसमें *** करोड़ रुपये का निवेश होगा।

ञ.4 डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर अनुमानित प्रभाव

121. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का विश्लेषण किया गया। शुल्क राशि प्रति एलएफटी यूनिट पर *** डालर अनुमानित शुल्क के रूप से आकलित की गई। इसके अलावा, ट्रक लागत और अनुमानित शुल्क राशि को 15% मूल्यह्रास दर (आय कर अधिनियम के अनुसार मोटर वाहनों की मूल्यह्रास दर) के अनुसार लिखित कीमत विधि के तहत अंशशोधित किया गया। विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया है कि ट्रक प्रचालन लागत पर अतिरिक्त शुल्क (एडीडी) का प्रभाव प्रति किलोमीटर ट्रक की परिशोधित कीमत का लगभग *** रहता है, जबकि इसका पूर्ण प्रभाव समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। पहले वर्ष में, एडीडी प्रति किलोमीटर ₹0.28 योग करता है, जो मूल प्रचालन लागत ₹35/किलोमीटर पर 0.80% की वृद्धि है। दसवें वर्ष तक, यह प्रभाव केवल 0.06 रुपये प्रति किलोमीटर रह जाता है, जिससे लागत में केवल 0.19% की वृद्धि होती है। यह गिरावट इसलिए होती है क्योंकि शुल्क प्रभाव और परिशोधन कीमत दोनों ट्रक की घटती लागत के अनुसार कम होते हैं, जबकि वार्षिक औसत दूरी 96,000 किलोमीटर स्थिर रहती है। कुल मिलाकर, एडीडी प्रचालन व्यय पर नगण्य प्रभाव डालता है, और समय के साथ इसका प्रभाव घटता है, जिससे यह प्रति किलोमीटर लागत में आधार प्रचालन लागत की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली प्रभाव डालता है।

वर्ष	एक ट्रक की लागत (राशि ₹ में)	शुल्क (राशि ₹ में)	15% की दर से लिखित मूल्य पद्धति से ट्रक का परिशोधन (राशि ₹ में)	15% की दर पर प्रतिवर्ष एडीडी परिशोधन प्रभाव (राशि ₹ में)	आस्ति के जीवनकाल में एडीडी का कुल प्रभाव (%)	एडीडी की परिशोधन लागत का प्रतिवर्ष प्रभाव (राशि ₹ में)	प्रति वर्ष औसत प्रचालन (किमी. में)	प्रति किमी.प्रभाव (राशि ₹ में)	प्रति किमी प्रचालन लागत (राशि ₹ में)	प्रति किमी. लागत में वृद्धि (%में)
1	60,00,000	***	***	***	***	***	96,000	0.28	35	0.80%
2	51,00,000	***	***	***	***	***	96,000	0.24	35	0.68%

3	43,35,000	***	***	***	***	***	96,000	0.20	35	0.58%
4	36,84,750	***	***	***	***	***	96,000	0.17	35	0.49%
5	31,32,038	***	***	***	***	***	96,000	0.15	35	0.42%
6	26,62,232	***	***	***	***	***	96,000	0.12	35	0.35%
7	22,62,897	***	***	***	***	***	96,000	0.11	35	0.30%
8	19,23,463	***	***	***	***	***	96,000	0.09	35	0.26%
9	16,34,943	***	***	***	***	***	96,000	0.08	35	0.22%
10	13,89,702	***	***	***	***	***	96,000	0.06	35	0.19%

<u>ट. प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियाँ:</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध:

122. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

ट.2 घरेलू उद्योग का अनुरोध:

123. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि:

1. प्राधिकरण ने पाया है कि संबद्ध देश से आयात पाटन और हानिकारक कीमतों पर हो रहे हैं। पाटन आयात के कारण घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में तीव्र गिरावट आई है।

2. डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

3. बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रुपये के निवेश से *** टैंकों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भविष्य में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा, और डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को आयात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है और डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, 5 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है।

5. विभिन्न प्रकार के टैंकों की लागत और कीमत में काफी उतार-चढ़ाव होने के कारण, मूल्य-आधारित शुल्क का रूप सबसे उपयुक्त पाटन-रोधी शुल्क है।

ट.3 प्राधिकरण द्वारा जांच:

प्राधिकरण ने पाया है कि प्रस्तुतियाँ पहले ही प्रकटीकरण विवरण में संबोधित की जा चुकी हैं। उपरोक्त निष्कर्ष स्वतः ही संबंधित पक्षों के इन तर्कों का समाधान करते हैं।

<u>ठ. निष्कर्ष</u>

124. उक्त जाँच परिणाम में यथा दर्ज हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, किए गए अनुरोध और प्राधिकारी के सामने उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और घरेलू उद्योग पर पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के किए गए उक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक (एलएफटी)' है, जिसे 'लिक्विड फ्यूल टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी वर्णित किया गया है।

ख. उत्पाद की क्षमता 200 लीटर से 990 लीटर तक होती है, और दबाव रेटिंग 16 बार से 24 बार तक होती है। एलएनजी टैंकों की व्यास और मोटाई 200 लीटर से 450 लीटर तक समान रहती है, केवल उनकी लंबाई बदलती है, जबकि 990 लीटर क्षमता वाले एलएफटी में लंबाई, व्यास और मोटाई सभी बदलते हैं।

ग. यह उत्पाद सीमाशुल्क कोड 7311 00 90 के तहत अध्याय 73 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को भागीदार प्रयोक्ताओं को बेचा है।

ड़. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए कि उसने 200 लीटर से 990 लीटर की रेंज में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है, जो क्षति अवधि के दौरान पूरी उत्पाद श्रृंखला को कवर करता है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु हैं।

छ. आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध उत्पाद का एक अन्य निर्माता है, जिसका नाम क्रायोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है।

ज. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

झ. आवेदक, नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

ञ. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) की है, और क्षति जांच अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 और जांच अवधि को शामिल करती है।

ट. नियम 5(3क) के अंतर्गत, प्राधिकारी ने 15 महीने की जांच अवधि पर विचार करने के लिए पर्याप्त तर्काधार जॉच शुरूआत अधिसूचना में प्रदान किए हैं।

ड. आवेदन में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सभी संगत जानकारी और नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार आवश्यक साक्ष्य शामिल थे जो नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जॉच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ढ़. चीन जन गण से किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियमावली के अनुबंध । के पैरा 8 में यथा उल्लिखित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। इसलिए, चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ण. चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य प्रत्येक पीसीएन के आधार पर अलग-अलग भारत में उत्पादन लागत के अनुसार, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को समायोजित करके भारत में देय कीमत के आधार पर परिकलित करके निर्धारित किया गया।

त. चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग नही मिलने के कारण, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत डीजी सिस्टम के आकड़ों के आधार पर निर्धारित की है। चूंकि यह आकड़े सीआईएफ की स्थिति में है, इसलिए कारखाना-द्वार स्तर ज्ञात करने के लिए पर्याप्त समायोजन किए गए हैं। प्रत्येक पीसीएन के लिए निर्यात कीमत अलग-अलग निर्धारित की गई और भारित औसत कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

थ. चीन जन गण के उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

द. विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ध. संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़े हैं, और यह बढ़ोतरी समग्र और सापेक्ष दोनों रूप में हुई है।

न. जांच अवधि में संबद्ध आयात की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से थोड़ी अधिक है, जिससे मामूली नकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

फ. आयात की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। बिक्री लागत से कम आयात पंहुच कीमत ने घरेलू उद्योग को उचित लाभकारी कीमतें निर्धारित करने ने रोका है।

ब. घरेलू उद्योग की क्षमता केवल 2021-2022 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान एकसमान रही है।

भ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान लगातार कम हुआ। इसी समय, संबद्ध देश से आयात ने जॉच अवधि के दौरान मांग में प्रमुख हिस्सा बना लिया। गैर-संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा नगण्य रहा है।

म. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में घाटा उठाया। घरेलू उद्योग को ब्याज से पहले भी नुकसान हुआ।

य. घरेलू उद्योग अन्य कारकों के कारण नुकसान नहीं हुआ। घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई।

कक. क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई थी।

खख. चीन जन गण के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

गग. डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

घघ. पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयात भारतीय बाजार में उचित कीमतों पर प्रवेश करें और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

ड़ड़. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना व्यापक सार्वजनिक हित के विरूद्ध नहीं होगा।

ड. सिफारिशें

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी संभावित हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यकत समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कालम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रसं	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के % रुप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73110090*	लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कोई	45%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	45%

**सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

127. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पंहुच मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 88, 9 और 9क के तहत लगाए जाने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

ढ. आगे की कार्रवाई

128. इस अंतिम जॉच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण/समीक्षा के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी